

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 976/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 976 /2017/9(120)/ XXVII(8)/2017**  
**Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "Uttarakhand GST Act"), on the recommendations of the Council, the Governor, is pleased to allow to specify that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act") who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund the rules made under the Uttarakhand GST Act read with section 54 or section 55 of CGST Act in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

2. This notification shall deemed to come into force from 13<sup>th</sup> day of October, 2017.

(Radha Katuri)  
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
संख्या 976/2017/9(120)/XXVII(8)/2017  
देहरादून:: दिनांक:: 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में एतत् पश्चात् "उत्तराखण्ड जीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में एतत् पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है), के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों (जिन्हें इस अधिसूचना में एतत्पश्चात् "उक्त अधिकारी" कहा गया है) के रूप में प्राधिकृत हैं, उत्तराखण्ड जीएसटी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियों की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव

सं० 976/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,  
  
(हीरा सिंह बसेड़ा)  
अनु सचिव